न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 23/2025

GCMS No. : 2025/129

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		भगाराम चौधरी पुत्र केवलराम चौधरी (मालिक) मैसर्स श्री केटर्स राजाराम पटेल नगर पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील विजयवर्गीय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 17/06/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 22.10.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी की मैसर्स श्री केटर्स राजाराम पटेल नगर पुराना हाउसिग बोर्ड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिंचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम भगाराम चौधरी बताया एवं स्वंय फर्म का मालिक होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान पर खुला मुगंफली का तेल रखा हुआ था जिसका उपयोग वह आमजन के उपयोग हेतु खाद्य सामग्री बनाने में करता है। दुकान का निरीक्षण करने पर एक पीपे में लगभग 7–8 किलो मुंगफली का तेल रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने मुंगफली के तेल का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्थिति में मेरे साथ आये भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की मुंगफली का तेल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 1600 एमएल मुंगफली का तेल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 180/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मुंगफली का तेल की को चार बोतलों में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2781 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया मुंगफली का तेल का नमुना संख्या आर–2781 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1561/एक्ट/2024/1604 दिनांक 04.11.2024 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सूचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) मुंगफली का तेल का आमजन के लिए खाद्य सामग्री बनाने हेतु उपयोग कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब एवं वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया मुंगफली का तेल का उत्पादन अप्रार्थी की फर्म द्वारा नहीं किया जाता, ऐसे में मुंगफली का तेल की गुणवत्ता से संबंधित समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी कि न हो कर मुंगफली का तेल निर्माता फर्म कि है न कि अप्रार्थी फर्म की है। कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से मुगफली का तेल का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर स्वतंत्र गवाह के स्थान पर अपने साथ आये कार्मिक को ही गवाह बना लिया जो कि मौके पर लिये गये सेम्पल की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। मुंगफली का तेल उत्पादन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता है एवं न ही किसी प्रकार कि मिलावट की जाती है ऐसे में अप्रार्थी का कोई दोष न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब/बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री केटर्स राजाराम पटेल नगर पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली से मुंगफली तेल का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड़ एवं क्रम संख्या आर–2781 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये मुंगफली तेल का नमुना कोड संख्या आर–2781 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मुगफली तेल का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया जिसकी प्रति ज़रिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी को भिजवायी गयी जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर भी अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मुंगफली तेल की पुनः जांच करवाने हेतु कोई आवेदन/अपील पेश नहीं कि जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से मुंगफली तेल का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के कानुन की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक मुंगफली तेल का उपयोग आमजन के उपयोग हेतु खाद्य सामग्री बनाने हेतु उपयोग लिये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक स्तर (Sub-standards) मुंगफली तेल का उपयोग करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पच्चास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली